Form No. III

App-2
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार रावतभाटा ...... 2023 ...... अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

हीरालाल ...... बनाम ...... श्रीमान तहसीलदार रावतभाटा

किस्म मुकदमा ...... वाद-पत्र ...... नं0 ...... 22 ...... सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
23.04.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के बाद तामील प्राप्त ओ0आर0का0 रिपोर्ट है। प्रार्थीगण कमली व सीता अपने-अपने ससुराल मे रहने बाबत तामील प्राप्त ओ0आर0का0 रिपोर्ट है। प्रार्थीगण न्यायालय मे अनुपस्थित। प्रकरण आज दिनांक को सुनवाई हेतु नियत था। नियत तिथी पर प्रार्थी / उसका अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ तथा न ही किसी प्रकार का हाजिरी माफी प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद की समुचित पैरवी नही की जा रही है तथा वह अपने वाद के प्रति उदासीन है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण अपने वाद को आगे बढाने मे इच्छुक नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति एवं वाद की पैरवी न करने के कारण इसी स्तर पर अदम तामील व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	